न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :—सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

1/2013 जीसीएमएस : 2013/00143

कालासिंह आदि बनाम गुरदास सिंह आदि

—:: प्रार्थना पत्र आदेश धारा 151—152 सिविल प्रक्रिया संहिता

—: आदेश :—

दिनांक : —06.09.2024

आज पत्रावली प्राथीगण कालासिंह आदि जरिये वकील सुशील कुमार गोदारा द्वारा प्रा. पत्र 151—152 सीपीसी का प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। उक्त अनवान का वाद माननीय न्यायालय मे चक चक 21 पीटीडी के मु.नं. 14 पं.नं. 288/357 के तादादी 24.10 बीघा, मु.नं. 15 पं.नं. 288/357 के तादादी 24.10 बीघा का हम प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया था जिसका निर्णय माननीय न्यायालय रायसिंहनगर द्वारा दिनांक 28.08.2024 को कर दिया गया है। निर्णय के क्रियात्मक आदेश मे सहबन से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का हिस्सा दर्ज होना रह गया है। इसलिए क्रियात्मक आदेश व माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री में चक 21 पीटीडी के मु.नं. 14 तादादी 24.10 बीघा व मु.नं. 15 तादादी 24.10 बीघा भूमि दुलासिंह पुत्र कुण्डासिंह व हाकमसिंह पुत्र दुलासिंह को बहिस्सा बराबर आवंटित हुई थी। जिसका इन्तकाल संख्या 55 दिनांक 13.09.1998 व इन्तकाल संख्या व नामान्तरण संख्या 94 दिनांक 05.12.2005 खारिज किये जाने का आदेश है। भूमि इन्तकाल संख्या 47 के अनुसार पूर्व स्थिति में बहाल की जाकर दुलासिंह पुत्र कुण्डासिंह के नाम दर्ज 24.10 बीघा भूमि उसके विधिक वारिस वादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा वादी संख्या 2 के नाम 1/5 हिस्सा वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 का 1/5 हिस्सा व पंजाबकौर पुत्री दुलासिंह का 1/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर दर्ज किये जाने का आदेश है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 पुत्रगण स्व. हाकमसिंह प्रत्येक के नाम हिस्सा निर्णय व डिक्री मे रह गया है जो निर्णय व डिक्री में दर्ज किया जाना कानूनी रूप से आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त निर्णय व पारित डिक्री में चक 21 पीटीडी तह. रायसिंहनगर के मु. नं. 14 में 24.10 बीघा व मु.नं. 15 में 24.10 बीघा मृतक कुण्डासिंह के वारिसान वादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 8 व पंजाब कोर पुत्री दुलासिंह का हिस्सा दर्ज हो यगा है और प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के नाम से भी उक्त प्रकार से प्रत्येक का 1/5 हिस्सा निर्णय व पारित डिक्री में दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

02. पत्रावली पेशी में ली जाकर। प्रकरण में दिनांक 28.08.2024 को पारित निर्णय एवं डिक्री और पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद पत्र में निर्णय दिनांक 28.08.2024 को दुलासिंह के जायज पांच वारिसों के कुल 24.10 बीघा को 1/5 हिस्सा बराबर—बराबर का आदेश पारित किया जाना था। न्यायालय द्वारा पारित डिक्री में चक 21 पीटीडी के मु.नं. 14 तादादी 24.10 बीघा व मु.नं. 15 तादादी 24.10 बीघा भूमि दुलासिंह पुत्र कुण्डासिंह व हाकमसिंह पुत्र दुलासिंह को बहिस्सा बराबर आवंटित हुई थी। जिसका इन्तकाल संख्या 55 दिनांक 13.09.1998 व इन्तकाल संख्या व नामान्तरण संख्या 94 दिनांक 05.12.2005 खारिज किये गये है। भूमि इन्तकाल संख्या 47 के अनुसार पूर्व स्थिति में बहाल की जाकर दुलासिंह [illegible] डासिंह के नाम दर्ज 24.10 बीघा भूमि उसके विधिक वारिस वादी संख्या 1 [illegible] 1/5 [illegible] स्सा वादी संख्या 2 के नाम 1/5 हिस्सा वादी संख्या 3 [illegible] 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का 1/5 हिस्सा व पंजाबकौर पुत्री [illegible] सिंह का 1/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर दर्ज किये जाने का आदेश है। परन्तु [illegible] संख्या 1 ता 5 का 1/5 हिस्सा निर्णय एवं डिक्री में दर्ज होने से [illegible] उक्त विवेचन एवं तथ्यों अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है ।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:38:00 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

हाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आ. धारा 151–152
ीसी स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री में निम्न प्रकार
ोधन किया जाता हैं कि– चक 21 पीटीडी के मु.नं. 14 तादादी 24.10 बीघा, मु.नं.
तादादी 24.10 बीघा भूमि दुलासिंह पुत्र कुण्डासिंह व हाकमसिंह पुत्र दुलासिंह को ब.
ब. आवंटित हुई थी। नामान्तरण संख्या 55 दिनांक 13.0.9.1998 व नामान्तरण संख्या
दिनांक 05.12.2005 खारिज किया जाता हैं। भूमि नामान्तरण संख्या 47 के अनुसार
स्थिति में बहाल की जाकर दुलासिंह पुत्र कुण्डासिंह के नाम दर्ज 24.10 बीघा भूमि
सके विधिक वारिस वादी सं. 1 1/5 हिस्सा, वादी सं. 2 के नाम 1/5 हिस्सा, वादी
ं. 3 व प्रतिवादी सं. 6 ता 8 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का 1/5
हस्सा व पंजाबकौर पुत्री दुलासिंह 1/5 हिस्सा ब.हि.ब. दर्ज किये जाने के आदेश दिये
ाते है।

इस आशय की संशोधित डिक्री जारी हो। आदेश सुनाया गया। निर्णय मूल
त्रावली के साथ संलग्न हो।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash
Chandra
Date: 2024.09.30 11:38:00 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner